



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

No.

15-4/33/85-ओ एंड एम(वॉल्यूम IV)

9th जनवरी, 2025

प्रेषक

अनुस्मारक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष हेतु संपत्ति विवरणों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु.

महोदय/महोदया,

कृपया हमारे समसंख्यक पत्र दिनांक 4 दिसंबर-2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें, जिसके तहत प्रयोगशालाओं/संस्थानों को समूह "क" तथा "ख" अधिकारियों के वर्ष 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उचित रूप से भरे गए वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) विवरणों को 31.01.25 तक पूरा करने और प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। निदेशक और प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सीनियर सीओए/सीओए/एओ के वर्ष 2024 को समाप्त होने वाले एपीआर विवरणों की प्रतियां अधिकारियों द्वारा विधिवत स्वप्रमाणित करके और सभी एपीआर विवरणों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी 15.02.2025 तक इस कार्यालय को भेजना है।

अतः निदेशक और सीनियर सीओए/सीओए/एओ के वर्ष 2024 के एपीआर विवरण की प्रतियां प्रयोगशाला/संस्थानों के अधिकारियों द्वारा स्व-सत्यापित आवेदन पत्र उचित जांच के बाद 15.02.2025 तक इस कार्यालय को भेजे और अन्य सभी समूह "क" तथा "ख" अधिकारियों के एपीआर विवरणों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी 15.02.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

तदनुसार, सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाएं/संस्थान उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लें तथा सख्ती से अनुपालन करें।

भवदीय,

(डॉ. पी. के. दत्ता)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर, नई दिल्ली
2. कार्यालय संयुक्त प्रशासन, सीएसआईआर, नई दिल्ली
3. उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली
4. उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली (मेल के माध्यम से)
5. प्रशासन नियंत्रक, मानव संसाधन विकास केंद्र, गाज़ियाबाद (मेल के माध्यम से)
6. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी (मेल के माध्यम से)
7. प्रमुख, आई. टी., सीएसआईआर-सीएसआईआर की वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध करने हेतु। (मेल के माध्यम से)
8. कार्यालय प्रति